भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या.†4678

उत्तर देने की तारीख 23.03.2020

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

†4678. श्रीमती प्रमिला बिसाई :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015-16 से मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत आवंटित कुल बजट और व्यय से संबंधित जानकारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए आवंटित बजट के लिए निधि संवितरण और उपयोग की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2015-16 से अब तक आवासीय छात्रावासों (लड़कियों) के लिए आवंटित राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) : वर्ष 2015-16 से मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत आवंटित निधियों और वास्तविक व्यय का विवरण अनुलग्नक- I पर है।

(ख) : राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से नियमित रूप से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रस्तावों को सही समय पर प्रस्तुत करें। डीबीटी मिशन ने अनिवार्य किया है कि छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड द्वारा छात्रों के खाते में जाए। इस संबंध में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को सूचित किया है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदनों को आमंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके परिणामस्वरूप यथासमय आवेदनों की प्राप्ति, सत्यापन तथा छात्रवृत्ति राशि का संवितरण और उपयोगिता हुई है।

(ग) : विभिन्न उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार , राज्य सरकार और स्वैच्छिक संगठन की विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रावासों का निर्माण किया जाता है। 2015-16 के बाद से 'अजजा बालिकाओं तथा बालकों ' की पूर्व योजना के तहत स्वीकृत निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	निर्मुक्त निधियां (लाख रूपए में)
1.	2015-16	6935.83
2.	2016-17	2000.00
3.	2017-18	700.00

******

अनुलग्नक - 1 (क)

दिनांक 23.03.2020 को 'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति' के संबंध में श्रीमती प्रमिला बिसाई, सांसद द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4678 के भाग) क (के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(**करोड़ रूपए में**)

		वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान आवंटित निधियों और वास्तविक व्यय के योजनावार ब्यौरे													
क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय													
		2015-16			2016-17			2017-18				2018-19			
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	अंतिम आवंटन	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	अंतिम आवंटन	वास्तविक व्यय
1	अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1154.84*	1210.14*	857.15	1454.22*	1659.84*	1555.67	1347.07	1436.00	1464.31	1463.87	1586.00	1643.03	1647.53	1647.53**
2	IX और X कक्षा में पढ़ने वाले जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति			228.69			84.17	265.00	318.00	294.10	294.08	350.00	310.00	311.50	311.50

* अन्य योजनाओं जैसे बालक तथा बालिका छात्रावास, आश्रम स्कूल, शिक्षा के लिए अम्ब्रैला योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए बजट सहित।

** घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय और व्यावसायिक सेवा के व्यय सहित।

अनुलग्नक - 1 (ख)

दिनांक 23.03.2020 को 'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति' के संबंध में श्रीमती प्रमिला बिसाई, सांसद द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4678 के भाग) क (के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(**करोड़ रूपए में**)

वर्तमान वर्ष 2019-20 के दौरान आवंटित धन और वास्तविक व्यय का योजनावार विवरण					
बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय					
2019-20					
क्र.सं.	स्कीम का नाम	ब.अ.	अतिरिक्त आवंटन	कुल (3+4)	वास्तविक व्यय (17.03.20)
1	2	3	4	5	6
1	अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1613.50**	120.00	1733.50	1733.44**
2	IX और X कक्षा में पढ़ने वाले जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	340.00	65.00	405.00	404.99

** घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय और व्यावसायिक सेवा के व्यय सहित।